(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्र.197–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 23/अपील/2007–08.

.....

राम उपाध्याय आत्मज श्री नर्मदाप्रसाद उपाध्याय,
निवासी उपभोक्ता भण्डार के पीछे,
तहसील व जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सरला उपाध्याय पत्नी स्व0श्री लखनलाल उपाध्याय
निवासी सदरबाजार, होशंगाबाद,
तहसील व जिला होशंगाबाद

..... अनावेदिका

.....

श्री अनुमान उपाध्याय, अभिभाषक–आवेदक
श्री प्रमोद गौर, अभिभाषक–अनावेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नजूल अधिकारी के समक्ष अनावेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि होशंगाबाद के नजूल प्लाट कमांक 48 शीट नम्बर 26 रकबा 2000 वर्गफुट स्थित मकान बटुकलाल द्वारा कय किया गया था, उनके पिता का दिनांक 29–9–1990 को हो चुका है । वर्तमान नजूल रिकार्ड में उक्त प्लाट पर नर्मदाप्रसाद का नाम दर्ज है, अतः नर्मदाप्रसाद का नाम निरस्त किया जाकर बटुकलाल के वारिसान के नाते उसका नाम दर्ज किया जाये । नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 17–8–2006 को

आदेश पारित कर पंजीकृत विक्रय के आधार पर बटुकलाल का नाम मान्य करते हुये वारिसान हक में अनावेदिका का नाम दर्ज कराने का आदेश दिया गया । नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 6–7–2007 को आदेश पारित कर नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये यह आदेशित किया गया कि अनावेदिका विवादित मकान/भूमि शीट नम्बर 26 प्लाट नम्बर 48 रकबा 1715 वर्गफुट पर नर्मदा प्रसाद के पुत्र लखनलाल की विधवा के रूप में प्राप्त हिस्से के संबंध में बटवारा सिविल न्यायालय से कराने हेतु स्वतंत्र है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–12–2014 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संपत्ति के संबंध में आवेदक के पक्ष में व्यवहार न्यायालय से आदेश हो चुका है और सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना अभिलेख का अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिविल न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अपर कलेक्टर को व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 18–3–10 के आधार पर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत् एवं उचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमें किसी

प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर